तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
13.05.2026		

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् अपील पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रार्थीयाँ के पिता स्व. श्री हरिनारायण के कब्जें–काश्त व खातेदारी की आराजीयात तत्कालीन खाता सं. 335 रकबा 8.92 हेक्टे. वाके ग्राम ऐचेर तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है, पिता की मृत्यु के पश्चात् आलौच्य नामान्तरण सं. 662 दिनांक 20.08.2014 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर मृतक पिता के सभी पुत्र पुत्रियों के नाम दर्ज किया गया इसमें प्रार्थीयाँ के नाम को जानबूझ कर छोड दिया गया जिससे प्रार्थीयाँ अपने पैतृक हक से वंचित हो गई, अतः उक्त निर्णय क विरूद्व निम्न आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है।

1. फैसला अधीनस्थ न्यायालय नियम व प्रावधानों के विरूद्व है, ग्राम पंचायत ने मृतक के वारिसान की बिना जाँच कियें ही आलौच्य नामान्तरण तस्दीक कर दिया।

2. आलौच्य नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने मृतक हरिनारायण के वारिसान के बारे में न तो कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य लिया, न ही अपने स्तर पर कोई जानकारी ली. यही वजह हुई कि प्रार्थीया को उसके पैतृक अधिकार से वंचित करते हुए मृतक के पुत्रियों के रूप में अपीलांट प्रार्थीयाँ का नाम जानबूझ कर छोड दिया।

3. आलौच्य नामान्तरण कोरम के समक्ष विस्तृत जाँच के बाद भरा जाना चाहिए किन्तु आलौच्य नामान्तरण में उक्त आवश्यक प्रावधानों की पालना से समबन्धित कोई विवेचना नही की गयी है।

4. प्रार्थीयाँ मृतक हरिनारायण की जायदा पुत्री है, मृतक पिता की अपने गृह ग्राम निमोद में भी वर्तमान खाता सं. 140 है जिसमें प्रार्थीयाँ को मृतक हरिनारायण की जायंदा पुत्री मानते हुए नामान्तरण भरा है किंतु आलौच्य नामान्तरण में प्रार्थीयाँ को जानबूझ कर हटा दिया।

5. विरासत के अंकन में मृतक खातेदार के सभी पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार व हिस्सा होता है किंतु विपक्षीयान ने ग्राम पंचायत से साज कर प्रार्थीयों को मृतक हरिनारायण की जायज वारिस पुत्री होते हुए भी अधिकार से वंचित करने की योजना के रूप में उक्त कार्यवाही करवाई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:46 IST
Reason: SelfAttested

6. दिनांक 08.10.2020 को प्रार्थीयाँ ने अपने पिता की भूमि पर के. सी. सी. ऋण लेने के लिए पटवारी से जानकारी ली तो खातें में प्रार्थीयों का नाम नहीं होने के तथ्यों [illegible] पता चला, तब प्रार्थीयों ने जानकारी लेकर आवश्यक नकलें जुटाई, इसके बाद पुनः 25.10.2020 को विपक्षी खेमराज, छगन, अनिता, धोलूराम आदि कि इस बारे में बात की जिस पर उन्होनें प्रार्थीयाँ का नाम शामिल करवाने से इन्कार कर दिया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7. अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरण सं. 662 दिनांक 20.08.2014 की जिल्द मंगवायी जाकर आलौच्य नामान्तरण निरस्त कर मृतक हरिनारायण की ऐंचेर स्थित खातेदारी भूमी खाता सं. 446 किता 17 रकबा 8.92 हेक्ट. में प्रार्थीयाँ का बतौर पुत्री वारिस के रूप में नाम का अंकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

मैंने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थाई जमाबंदी दिनांक 15.10.2020 वाके ग्राम नीमोद, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 140 में अपीलांट काली पुत्री हरिनारायण का हिस्सा रेस्पो0 के साथ बतौर सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिससे अपीलांट के मृतक हरिनारायण गुर्जर की पुत्री होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 662 दिनांक 20.08.2014 ग्राम ऐंचेर, ग्राम पंचायत टापुर को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक हरिनारायण के वारिसान के नाम की सही जानकारी कर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:46 IST
Reason: SelfAttested